

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, न्यायिकालय

समक्ष- एम० के० सिंह,  
सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 702-दो/2014 विरुद्ध आदेश, दिनांक 20-१-२०१४ पारित  
द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 479/बी-१२१/१२-१३.

छोटेलाल झारिया आत्मज नवरत्न झारिया  
निवासी ग्राम टिकरिया तहसील  
व जिला जबलपुर

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन  
द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

..... प्रत्यर्थी

श्री के० के० द्विवेदी, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से ।  
श्री डी० के० शुक्ला, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी शासन की ओर से ।

:: आ दे ण ::

( आज दिनांक १७-१०-२०१६ को पारित )

यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 479/बी-१२१/१२-१३ में पारित आदेश दिनांक 20-१-२०१४ के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में आवेदक के अनुसार हस्त प्रकार है कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि वह ग्राम टिकरिया प.ह.नं. 49 जिला जबलपुर का कोटवार है । कोटवारी का पद उसके यहां पिछले लगभग 100 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा है । इसके पूर्व जमीदारी काल में आवेदक के बंशज कोटवार रहे और उसके पूर्वज तुलई वल्द किशन द्वारा ग्राम टिकरिया की भूमि खसरा नं. 66/२, 67/१, 69/१, 77, 125 एवं 127 कुल किता 6 एकड़ मौरुसी हक पर धारित थी तथा तत्समय मालगुजारी प्रथा प्रचलित थी तथा मालगुजार

M

PKS

द्वारा उक्त भूमि कोटवारी की सेवा के रूप में व्यक्तिगत तोर पर प्रदान की गई थी। म0प्र0 शासन राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 25-8-2006 को ऐसी भूमियां जो मालगुजारों द्वारा कोटवार की सेवा के रूप में दी गई थीं, पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 16603/2005 में दिए गए निर्देश के पालन में आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रष्टुत किया गया जो अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 9-11-12 द्वारा निरस्त किया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलीच्छ आदेश द्वारा निरस्त की है। अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के विरुद्ध है दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किये हैं। यह भी कहा गया कि विवादित भूमि वर्ष 1909-10 में मौरूसी हक पर कागजात में दर्ज है। मौरूसी हक शासन द्वारा कोटवार के पारिश्रमिक के रूप में दी गई भूमियों पर प्राप्त नहीं होता यह स्वत्व उन्हीं व्यक्तिगत स्वत्व की भूमियों पर प्राप्त होता है जो तत्समय मालगुजार द्वारा दी गई थी। विवादित भूमियां मालगुजार द्वारा आवेदक के पूर्वजों को दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिंदु पर विचार नहीं किया कि आवेदक के पूर्वजों द्वारा धारित भूमि पर म0प्र0 जारी समाप्त विधान की धारा 45 के तहत मौरूसी हक पर प्राप्त भूमियों पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो जाने थे और भू-राजस्व संहिता, 1954 की धारा 146 के तहत आवेदक के पूर्वजों को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गई थी तथा संहिता की धारा 158 के तहत उन्हें भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत किए गए न्यायदृष्टांतों पर कोई विचार नहीं किया गया है और न्यायदृष्टांत 1999 आर0एन0 14 उच्च न्यायालय के विपरीत आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है।

यह तर्क भी दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायदृष्टांत 1985 राजस्व निर्णय 228 ( गौरीशंकर चौबे विरुद्ध

M

NK

बख्ता ) में प्रतिपादित सिङ्गांत तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिट याचिका क्रमांक - 2632/2000 छबिलदास व अन्य के प्रकरण में दिनांक 30.10.2001 को पारित आदेश के विपरीत है इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने अविभाजित म0प0 के दुर्ग जिले के 11 ऐसे कोटवारों को जिन्हें मालगुजारों द्वारा नवीन संहिता लागू होने के पूर्व कृषि भूमि दी गई थी, भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किया गया। इसी प्रकार दिट याचिका क्रमांक 2064/2000 में पारित निर्णय दिनांक 3.5.2001 के द्वारा 36 अन्य कोटवारों को भूमि स्वामी स्वत्व दिये जाने का आदेश पारित किया गया है।

यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्याय दृष्टांतों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम (एस्टेट, महल, संक्रांत भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45(3) को समझे बगैर तथा संहिता 1959 की धारा 158 की आवधान को समझे बगैर आदेश पारित किया गया है जो दिए रखे जाने योग्य नहीं है। यह भी कहा गया कि कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1954 की धारा 146 के प्रावधान के विरुद्ध विचि विरुद्ध आदेश पारित किया गया है।

4/ प्रत्यर्थी शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अपीलार्थी एवं उसके पूर्वजों को कोटवार के नाते दी गई है अतः आवेदक को कोई अधिकार प्रश्नाधीन भूमियों पर प्राप्त नहीं होते हैं। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख में नायब तहसीलदार, वृत्त खमरिया का प्रतिवेदन तथा अन्य राजस्व अभिलेखों की जो प्रतियां संलग्न हैं उनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भिसल जिकर कोटवारान वर्ष 1909-10 में प्रश्नाधीन भूमियां सर्वे नं. 66/2, 67/1, 69/1, 77, 125 एवं 127 कुल किता 6 कुल एकड़ा 3.59 एकड़ पर आवेदक के पूर्वज तुल्ष बल्द किसुन महरा सा. देह नाबालिंग वली सरवदाहुकार नेतराम का नाम मौरुसी काशतकार के रूप में अंकित है। खसदा पांचसाला वर्ष 1954-55 में इन भूमियों पर छक्के बल्द नौरतन तथा खसदा वर्ष 1957-58 में इन भूमियों पर छोटेलाल

(M)

JK

वल्द नौरतन का नाम ग्राम नौकर के रूप में अंकित है। अभिलेख में संलग्न री-नंबरिंग सूची अनुसार खसरा नं. 66/2, 67/1 एवं 69/1 से खसरा नं. 50, खसरा नं. 77 से खसरा नं. 57, खसरा नं. 125 से खसरा नं. 152 तथा खसरा नं. 127 से खसरा नं. 170 बन हैं। जिन पर वर्तमान में आवेदक छोटेलाल पिता नवरतन झारिया का नाम सेवा खातेदार के रूप में कम्प्यूटर खसरे में दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदक के पूर्वजों को भूतपूर्व मालगुजार द्वारा वर्ष 1909-10 से सेवा भूमि के रूप में प्रश्नाधीन भूमियां प्रदत्त की गई थीं, जिस पर विगत 100 वर्षों से अधिक से आवेदक एवं उसके पूर्वजों का कोटवार के रूप में कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि वर्ष 1959 में संहिता के प्रभावशील होने के बाद पट्टे पर अथवा सेवा भूमि के रूप में आबंटित नहीं की गई हैं। मालगुजारी उम्मूलन अधिनियम, 1950 की धारा 45 (3) की श्रेणी में अपीलार्थी को प्रश्नाधीन भूमि पर साज्य के मौरूसी काश्तकार की अवधारणा हो जाती है। न्यायदृष्टांत 1985 दाराव्व निर्णय 228 ( गौरीशंकर चौबे विरुद्ध बख्ता ) के प्रकरण में ( यद्यपि उक्त मामला मालगुजार एवं कोटवार के बीच था ) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया कि - कोटवार प्रोपराईटर का व्यक्तिगत सेवक नहीं। वादग्रस्त भूमि लगातार कोटवार के कब्जे में रही उसे कभी बेदखल नहीं किया गया वह लगातार कोटवार भी रहा। कोटवार के रूप में व्यक्तिशः मालगुजार का सेवक नहीं था। उसके द्वारा की गई सेवायें ग्रामवासियों के लिये थी, अतएव म.प्र. स्वत्व समाप्त अधिनियम (एस्टेट, महल, संक्रांत भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45 (3) प्रत्यक्षतः लागू होती है, जिसके प्रभाव से वैष्ण दिनांक से कोटवार शासन का मौरूसी काश्तकार हो गया। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त अंश कोटवार अपीलार्थी अथवा उसके पूर्वजों पर पूर्णतः लागू होते हैं। जिसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि कोटवार शासन का मौरूसी काश्तकार नवीन संहिता लागू होने के समय हो गया था। कलेक्टर द्वारा विधि के उक्त साहज निष्कर्ष की अनदेखी कर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट याचिका क्रमांक - 2632/2000 छबिलदास व अन्य के प्रकरण में दिनांक 30.10.2001 के आदेश से दुर्ज जिले के 11 ऐसे कोटवारों को जिन्हें मालगुजारों द्वारा संहिता लागू होने के पूर्व कृषि भूमि दी गई थीं, भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किया गया। इसी प्रकार रिट याचिका क्रमांक 2064/2000 में पारित निर्णय दिनांक 3.5.2001 के द्वारा 36 अन्य

कोटवारों को भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया। कलेक्टर न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्याय दृष्टांतों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया है।

7- अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम (एस्टेट, महल, संक्रांत भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45(2) एवं 45(3) को भी समुचित रूप से नहीं समझा गया।

**उक्त अधिनियम की धारा 45(2) के अनुसार :-**

Any person holding land as village service land shall be defined to be holding it from the State and shall be governed by the provisions contained in sections 42 to 48 of the Central Provinces Tenancy Act, 1920

**उक्त अधिनियम की धारा 45(3) के अनुसार :-**

Any person holding land other than 'Sir' land from the proprietor on favourable terms for services rendered by him shall from the date of vesting be declared to be an occupancy tenant of the state and the deputy commissioner shall fix the rent to be paid by him.


अधिनियम की धारा 45(3) के सरल पाठ से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अपनी सेवाओं के बदले जो मालगुजार से मालगुजार की खुदकाशत भूमि को छोड़कर भूमि favourable terms में प्राप्त करता है, वैष्णन दिनांक से उक्त भूमि का मौरूसी कृषक स्थिति किया जायेगा तथा भूमि का राजस्व उपायुक्त द्वारा नियत किया जायेगा। प्रश्नाधीन भूमि मालगुजार की खुदकाशत भूमि नहीं थी, अपितु कोटवार द्वारा की गई सामुदायिक सेवा के बदले में मालगुजार द्वारा दी गई थी। उक्त भूमि तत्कालीन राजस्व अभिलेखों में माफी खिदमती के रूप में दर्ज है। अर्थात् मालगुजार द्वारा उक्त भूमि सेवा के बदले लगान मुक्त भूमि के रूप में प्रदाय की गई थी, जो स्पष्ट रूप से favourable terms के अन्तर्गत आती है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम (एस्टेट, महल, संक्रांत भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45 (3) लागू होती है। अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर उपरोक्त धारा 45(3) के अन्तर्गत अपीलार्थी मौरूसी कृषक हो जाता है तथा अपीलार्थी को भू-राजस्व सहित, 1954 की धारा 146 के प्रावधानों के तहत भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होते हैं, और

(M)

R  
AP

वर्तमान संहिता की धारा 158 के अंतर्गत उसे भूमि स्वामी अधिकार प्रोद्धृत हो जाते हैं। कलेक्टर ने उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है जो अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अपर आयुक्त द्वारा भी कलेक्टर के अवैधानिक आदेश की पुष्टि की गई है अतः उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 479/बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 20-1-14 एवं अपर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/बी-121/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 9-11-12 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार, जबलपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि वे राजस्व अभिलेखों में ग्राम टिकारिया स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 50 रक्बा 0.060, खसरा नं. 57 रक्बा 0.030, खसरा नं. 152 रक्बा 0.550 एवं खसरा नं. 170 रक्बा 0.840 कुल रक्बा 1.480 हैक्टर पर अपीलार्थी छोटेलाल शास्त्रिया के नाम के साथ दर्ज "सेवा खिदमती" की प्रविष्टि विलोपित कर उसका नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये और तदनुसार राजस्व अभिलेख दुरस्त किए जायें।



(एम.के.सिंह)

सदस्य,  
राजस्व मण्डल ग्रामपादेश,  
बगलियर

